न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 01/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

मैसर्स महेन्द्र सिंह सोलंकी, ग्राम दौराई, यादव कॉलोनी, अजमेर जरिये श्री महेन्द्र सिंह सोंलकी पुत्र श्री सोहन लाल, निवासीः 617, दौराई, यादव कॉलोनी, अजमेर।

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 07.03.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.01.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के निवास स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने निवास स्थल पर अवैध रूप से भण्डारित 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	241120	IOC	15.7	29.7	14.0	Domestic
2	900656	IOC	17.2	31.2	14.2	Domestic
3	514655	IOC	15.5	29.7	14.2	Domestic
4	911323	IOC	15.6	29.6	14.0	Domestic
5	494702	IOC	15.8	29.8	14.0	Domestic
6	905163	IOC	15.6	15.6	Nil	Domestic
7	395222	IOC	15.3	15.3	Nil	Domestic
8	14319	IOC	19.4	24.4	5.0	Commercial

तथा दो रिफिलिंग मशीन को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण एवं अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः 07 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, तथा 02 रिफिलिंग मशीन को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर कुक एण्ड कुक गैस ऐजेन्सी अजमेर के कार्मिक श्री शंकरलाल पुत्र श्री रामकरण, निवासी–सोमलपुर, अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु

जिला कलक्टर
अजमेर

6. सिलेण्डरों को कुक एण्ड कुक गैस ऐजेन्सी, अजमेर के कार्मिक शंकरलाल पुत्र श्री रामकरण निवासी– सोमलपुर, अजमेर आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 08 गैस सिलेण्डर एवं दो रिफिलिंग मशीनों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

रेणुका चतुर्वेदी
प्रवर्तन अधिकारी

संलग्न :–

1. फर्द चैंकिग एवं जब्ती
2. सुपुर्दगीनामा
3. नजरी नक्शा
4. अप्रार्थी का आधार कार्ड फोटो प्रति
5. अप्रार्थी की वोटर आई डी फोटो प्रति
6. शिकायत प्रति।

Scanned by CamScanner